[25/7/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 453]

परिशिष्ट-"अ"

विधानसभा आतारांकित प्रश्न क्रमांक 453 प्रश्नांश "क" की जानकारी

उद्यानिकी एंव खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी।

विभाग द्वारा संचालित राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :-

अ. राज्य पोषित योजनायें :-

1. फल पौध रोपण अनुदान योजना
2. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना
3. उद्यानिकी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण योजना
4. कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम
5. व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना
6. फल, सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना
7. शासकीय रोपणियों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
8. मौसम आधारित फसल बीमा योजना
9. उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना
10. उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना
11. मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना

ब. क्रेन्द्र पोषित/केन्द्र प्रवर्तित योजनाए :-

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
4. राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन (NMMP)
5. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PM FME)
6. अनुसूचित जाति उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता-

(नोडल अधिकारी विधानसभा)
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
मध्यप्रदेश भोपाल

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

(परिशिष्ट- ब) ब

पृष्ठ क्र 1 से 2

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 453 प्रश्नांश "ख" की जानकारी

नरसिंहपुर जिले में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनायें :

स.क्र.	योजना का नाम	व्यक्तियों को प्राप्त लाभ (वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक) लाभांवित हितग्राही संख्या
I.	**राज्य पोषित योजनायें**	
	1–नश्वर उत्पादों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना :– इस योजनान्तर्गत प्याज भंडार गृह (50 मी0टन क्षमता) का निर्माण करने पर शासन द्वारा निर्धारित इकाई लागत का अधिकतम 175000/– रूपये अनुदान देय है।	1
	2– कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण :– इस योजनान्तर्गत कृषकों को राज्य के बाहर (5 दिवसीय) 7500/– रूपये एवं राज्य के अंदर (3 दिवसीय) 3000/–रूपये तथा जिला स्तर पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण हेतु 600/– रूपये प्रति कृषक का प्रावधान है।	270
II	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक**	
	1– उच्च तकनीकी से पान की खेती :– इस योजना के अंतर्गत पान की खेती करने वाले कृषकों को 500 वर्गमीटर में पान बरेजा का निर्माण करने पर इकाई लागत का अधिकतम 25900/– रूपये अनुदान सहायता का प्रावधान है।	10
	2– संकर सब्जी क्षेत्र विस्तार :– इस योजनान्तर्गत संकर सब्जी की खेती करने वाले कृषकों को प्रति हेक्टर इकाई लागत राशि रूपये 50000/– का 40 प्रतिशत अधिकतम 20000/– रूपयें अनुदान देय है।	159
	3– जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये "वर्मी कम्पोस्ट इकाई" इस योजनान्तर्गत इकाई लागत राशि रूपये 20025/– का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 10000/– प्रति इकाई अनुदान देय है।	307

2

स.क्र.	योजना का नाम	व्यक्तियों को प्राप्त लाभ (वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक) लाभांवित हितग्राही संख्या
III	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) :–** इस योजना अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रतिस्थापन हेतु सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0 वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत तथा सामान्य/अ0ज0जा0/अ0जा0 वर्ग के बड़े कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान देय का प्रावधान है।	362
IV	**आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना** – इस योजनान्तर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित फसल गन्ना से गुड़ उत्पाद हेतु गुड़ उद्योग निर्माण इकाई हेतु 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता अधिकतम 1000000/– रूपये देय है।	18

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

सहायक संचालक, उद्यान
जिला नरसिंहपुर